

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : 2121 / 2424 / 2019 / नियम / चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर, 2019


शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय - माह अक्टूबर 2019 का वेतन आहरण करने बावत् ।



राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग-एक के सहायक नियम 206 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि माह अक्टूबर 2019 के वेतन, पेंशन एवं मजदूरी का भुगतान दिनांक 24 एवं 25 अक्टूबर 2019 को किया जाए ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(अजय चौबे)

उप सचिव


म.प्र. शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : 2121 / 2420/2019/नियम/चार
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर, 2019

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
4. रजिस्ट्रार जनरल मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय जबलपुर
5. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
6. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म.प्र. भोपाल ।
7. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र. भोपाल ।
8. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
9. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
10. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
11. संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
12. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
13. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
14. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।


(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग